

प्रेस विज्ञप्ति

शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को 'ओ' लेबल कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है-

- 1- इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000.00 तक की वार्षिक आय वाले परिवार के पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को 'ओ' लेबल का प्रशिक्षण अनुमन्य होगा।
- 1- कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए (10+2) इण्डरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आवश्यक है।
- 2- प्रशिक्षार्थी की अधिकतम आय 35 वर्ष होनी चाहिए।
- 3- प्रशिक्षार्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो।
- 4- कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रवेश सत्र माह जुलाई एवं जनवरी होगा।
- 5- ओ लेबिल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि एव वर्ष की होगी।
- 6- इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत संस्था 'डूवैक' (Department of Electronics & Accreditation of Computer Course) वर्तमान में NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। संस्था में लाभार्थियों द्वारा प्रवेश लेकर प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि रू0 15000.00/- को छोड़कर शेष धनराशि जमा करने की रसीद प्रस्तुत करने पर रू0 15000.00 तक की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा सीधे संस्था को बिना किसी विलम्ब के कर दी जायेगी।

उपर्युक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र एव आय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000.00 तक की वार्षिक आय वाले परिवार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र विलम्बतः दिनांक 15-6-2017 की साय 5.00 बजे तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कक्ष सं0 17 में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रशिक्षार्थियों का चयन प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर किया जायेगा आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा किया जायेगा।

(रेखा गुप्ता)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।

पत्रांक 145/पि0व0क0/ओ0 लेबल/प्रेस विज्ञप्ति/2017-18

दिनांक 9-5-17

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय बरेली को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि उप निदेशक सूचना को 10 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रधान सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनहित में अपने दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- ✓ 5-प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली।